# न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
## पीठासीन अधिकारीः— श्रीमती कुसुमलता चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व प्रा0 पत्र संख्या 24 / 2023

| प्रार्थीगण :— | बनाम | अप्रार्थीगण :— |
|---|---|---|
| 01 ललिता देवी धर्मपत्नि गणेश ब्राहम्ण निवासी साण्डिया, तहसील सोजत जिला पाली राज0 | 1. | तेजसिह पुत्र मांगूसिंह |
| | 2. | दलपतसिंह पुत्र मांगूसिंह |
| | 3. | लक्ष्मणसिंह पुत्र मांगूसिह |
| | 4. | शारदाकंवर पुत्री मांगूसिंह |
| | 5. | अन्नुकंवर पुत्री मांगूसिंह |
| | 6. | जनककंवर पुत्री मांगूसिंह |
| | 7. | टीकमकंवर पत्नि मांगूसिंह जातियान राजपुत निवासीगण साण्डिया तहसील सोजत |

## राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट 1955

1. श्री अर्जूनसिह राजपुरोहित प्रार्थी उपस्थित।

—: निर्णय :— दिनांकः 28/03/24

अधिवक्ता प्रार्थी ने राजस्व प्रा.पत्र अर्न्तगत धारा 212 आर.टी.एक्ट 1955 का विरूद्व अप्रार्थीगण इस आशय का पेश किया है कि सरहद मौजा साण्डिया तहसील सोजत में प्रार्थीनी तथा अप्रार्थीगण व प्रतिवादीगण 01 लगायत 20 की सयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि वर्तमान खाता संख्या 135 खसरा नम्बर 1068 रकबा 3.7300 हैक्टर खसरा नम्बर 1070 रकबा 3.3200 हैकटर, खसरा नम्बर 1071 रकबा 0.7200 हैक्टर, कुल खसरा 03 कुल रकबा 7.7700 हैक्टर की आई हुई स्थित है। पूर्व खातेदार राजूसिंह पुत्र फतेहसिंह कौम राजपुत निवासी साण्डिया का वादस्थ कृषि भूमि में 1/12 वा हिस्सा हक हकूक खातेदारी का आता है। राजूसिह ने अपने खातेदारी हक का बेचान प्रार्थीनी को कर दिया है। राजूसिंह ने भी अपने ऐवजाने की सॅम्पूर्ण धनराशि प्राप्त कर प्रार्थीनी के पक्ष में बेचाननाराम दिनांक 14.09.2021 को तहरीर कर तकमील कर दिया। वादस्थ भूमि का राजस्व रेकर्ड में किसी भी प्रकार से विभाजन नही हो रखा है जिसके कारण अप्रार्थीगण प्रार्थीनी प्रार्थीनी के साथ हमेशा टण्टा फसाद करते रहते है। पक्षकारो के मध्य कई फौजदारी प्रकरण भी विचाराधीन है। प्रार्थीनी ने अपने हक हिस्से में आइ हुई कृषि भूमि पर लाखों रूपये खर्च कर तारबंदी करवाई तथा कृषि भूमि को उपजाउ बनवाया । अप्रार्थीगण जबरदस्ती प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखल अन्दाजी करने पर आमादा है। जिससे अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा रोके जाने की ईश्तदुआ की है।

अप्रार्थीगण 01 से 07 बावजूद सूचना / तामिल बार बार आवाजे लगाये जाने पर भी अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

बहस अधिवकता प्रार्थी सूनी गई। दौराने बहस विद्वान अभिभाषक ने निवेदन किया कि वादस्थ कृषि भूमि सयुक्त खातेदारी कीकृषि भूमि है। मौके पर बंट हो चुके है।

प्रार्थीनी अपने हक हिस्से पर काबिज है तथा अपने हक हिस्से की भी पर तारबन्दी कर कृषि कार्य करती है। अप्रार्थीगण अब प्रार्थीगण की कृषि भूमि में दखल अन्दाजी करने पर उतारू है। जिसे रोके जाने हेतु अरथाई निषेधाज्ञा जारी की जाने की ईश्तदुआ की है।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी, सोजत सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस के दौरान निवेदन किया है कि अप्रार्थी नाजायज तरीके से प्रार्थी के हक हिस्सा की कृषि भूमि से प्रार्थी को बेदखल करने पर आमदा है तथा उकत कृषि भूमि का बेचान हस्तान्तरण कर खुर्दबुर्द करने पर आमदा हैं। यदि अप्रार्थीगण उक्त नाजायज कृत्य करने में सफल हो जाते है तो प्रार्थी को अपूर्णनीय क्षति होगी जिसका मूल्यांकन कदापि रूपयों में नही आंका जा सकेगा। जिसे जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा रोका जाकर पाबन्द किये जाने की ईश्तदुआ की है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र मय शपथ पत्र एवं फहरिस्त मय दस्तावेजात, का गहनतापूर्वक अध्ययन कर बहस प्रा0 पत्र अधिवक्ता प्रार्थी पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः मूल वाद विभाजन का है। प्राथमिक डिकी की पालना प्राप्त होने तक मोके की यथा स्थिति बनाये रखना उचित समझते है।

**—: आदेश :—**

अतः अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज0 काश्त0 अधि0 1955 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा साण्डिया तहसील सोजत में प्रार्थीनी तथा अप्रार्थीगण सयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि के वर्तमान खाता संख्या 135 खसरा नम्बर 1068 रकबा 3.7300 हैक्टर खसरा नम्बर 1070 रकबा 3.3200 हैकटर, खसरा नम्बर 1071 रकबा 0.7200 हैक्टर, कुल खसरा 03 कुल रकबा 7.7700 हैक्टर की कृषि भूमि का **(Status Quo)** बनाये रखने तथा प्रार्थी के वर्तमान कब्जे काश्त में दखल अन्दाजी करने से अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता मूल वाद के साथ नत्थी हो।

उप खण्ड अधिकारी सोजत, जिला-पाली (राज.)

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

निर्णय आज दिनांक 28.03.2024 को सरे ईजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत